

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2450]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936

No. 2450]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3044(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के जींद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 307.000 किलोमीटर से 327.000 किलोमीटर तक के भूखण्ड (रोहतक जींद सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी, और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जींद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 307.000 किलोमीटर से 327.000 किलोमीटर तक (रोहतक जींद खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम/ हदबस्त संख्या	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		
				आयत संख्या	किला संख्या			कनाल	मरला	हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	जींद	1.जींद	(1) अनूपगढ़ / 58	23//	170	पंचायत	असिंचित	0	1	0.0025
				32//	122	पंचायत	असिंचित	3	0	0.1518
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				3	1	0.1543
			(2) किनाना / 59	29//	13/2	निजी	सिंचित	0	3	0.0076
				103//	1	निजी	सिंचित	0	4	0.0101
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				0	7	0.0177
		2. जुलाना	(1) गोसाई खेड़ा / 60	9//	20/2	निजी	सिंचित	0	4	0.0101
				26//	7	निजी	सिंचित	0	2	0.0051
				47//	575	पंचायत	असिंचित	0	11	0.0278
				48//	73	पंचायत	असिंचित	1	0	0.0506
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				1	17	0.0936
			(2) गतौली / 49	52//	24	निजी	सिंचित	0	6	0.0152
					250	पंचायत	असिंचित	0	2	0.0051
				143//	7 Min	निजी	सिंचित	0	6	0.0152
					14	निजी	सिंचित	0	6	0.0152
				167//	12/1	निजी	सिंचित	0	2	0.0051
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				1	2	0.0556
			(3) शादीपुर / 32	35//	21/2	निजी	सिंचित	0	5	0.0126
					22/2/1	निजी	सिंचित	0	19	0.0481
				50//	11/2	निजी	सिंचित	5	4	0.2630
					21/1	निजी	सिंचित	0	6	0.0152
					21/2	निजी	सिंचित	2	4	0.1113
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				8	18	0.4502
			(4) ब्राह्मण वास / 25	24//	15	निजी	सिंचित	0	11	0.0278
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				0	11	0.0278
			(5) बूढ़ा खेड़ा / 31	93//	25	निजी	सिंचित	0	4	0.0101
				109//	5	निजी	सिंचित	0	8	0.0202
					6	निजी	सिंचित	0	2	0.0051
				114//	2/2	निजी	सिंचित	0	2	0.0051
				गाँव का कुल क्षेत्रफल				0	16	0.0405
				कुल क्षेत्रफल				16	12	0.8397

[फा. सं. भाराराप्रा / पकाई—रोहतक / रोहतक—जींद / भू.अ. / 14—15 / जींद]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2014

S.O. 3044 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71 on the stretch of land from Km. 307.000 to Km. 327.000 (Rohtak-Jind Section) in the district of Jind in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Rohtak, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 307.000 to Km. 327.000 (Rohtak-Jind section) of the National Highway No. 71 in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village and Hadbast Number	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area		
				Rectangle number	Field number			Kanal	Marla	Hectare
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Jind	1. Jind	(1) Anup Garh / 58	23//	170	Panchayat	Non Irrigated	0	1	0.0025
				32//	122	Panchayat	Non Irrigated	3	0	0.1518
				Total of Village				3	1	0.1543
			(2) Kinana / 59	29//	13/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076
				103//	1	Private	Irrigated	0	4	0.0101
				Total of Village				0	7	0.0177
		2. Julana	(1) Gusain Khera / 60	9//	20/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101
				26//	7	Private	Irrigated	0	2	0.0051
				47//	575	Panchayat	Non Irrigated	0	11	0.0278
				48//	73	Panchayat	Non Irrigated	1	0	0.0506
				Total of Village				1	17	0.0936
			(2) Gatauli / 49	52//	24	Private	Irrigated	0	6	0.0152
					250	Panchayat	Non Irrigated	0	2	0.0051
				143//	7 Min	Private	Irrigated	0	6	0.0152
					14	Private	Irrigated	0	6	0.0152
				167//	12/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051
				Total of Village				1	2	0.0556

			(3) Shadipur / 32	35//	21/2	Private	Irrigated	0	5	0.0126
					22/2/1	Private	Irrigated	0	19	0.0481
				50//	11/2	Private	Irrigated	5	4	0.2630
					21/1	Private	Irrigated	0	6	0.0152
					21/2	Private	Irrigated	2	4	0.1113
					Total of Village			8	18	0.4502
			(4) Brahmanwas / 25	24//	15	Private	Irrigated	0	11	0.0278
					Total of Village			0	11	0.0278
			(5) Buddha Khera / 31	93//	25	Private	Irrigated	0	4	0.0101
				109//	5	Private	Irrigated	0	8	0.0202
					6	Private	Irrigated	0	2	0.0051
				114//	2/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051
					Total of Village			0	16	0.0405
					Grand Total			16	12	0.8397

[F. No. NHAI/PIU-Rohtak/Rohtak-Jind/LA/14-15/Jind]

MAYA PRAKASH, Director